पत्र संख्या—न्याय—5(1)—एस0एल0पी0—निर्णय / 2019—20 / 841 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0

(वाद अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 04 अक्टूबर, 2019

**1—समस्त एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड—1,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

**2—एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड—1,ग्रेड—2(उ0न्या0कार्य)
वाणिज्य कर,प्रयागराज,लखनऊ।**

**3—समस्त एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड—2 (वि0अनु0शा0 / प्रवर्तन)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

**4—समस्त ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक / वि0अनु0शा0)
वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।**

वाणिज्य कर, मुख्यालय पर दिनांक 24.09.2019 को आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में यह तथ्य प्रकाश में आया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका दायर किये जाने हेतु प्रक्रिया के सम्बन्ध में अधिकारियों में स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस सन्दर्भ में **उच्च न्यायालय कार्य मैनुअल (2015)** के पृष्ठ—17 पर अध्याय—8**(प्रति संलग्न)** में उल्लिखित प्रक्रिया सुलभ सन्दर्भ हेतु निम्नांकित है:—

अध्याय—8

विशेष अनुज्ञा याचिका (एस0एल0पी0) दायर करने की प्रक्रिया

1— विशेष अनुज्ञा याचिका (एस0एल0पी0) दायर करने की प्रक्रिया

सम्बन्धित कोर्ट में तैनात स्थायी अधिवक्ता के परामर्श के आधार पर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अथवा शासन के निर्देश पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लिव पेटिशन (विशेष अनुज्ञा याचिका) प्रस्तावित किया जाना प्राविधानित है। स्पेशल लिव पेटिशन (विशेष अनुज्ञा याचिका) प्रस्तावित किये जाने की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए विभाग को 90 दिन का समय अनुमन्य है। कालबाधन की सीमा की गणना निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से की जायेगी......... विशेष अनुज्ञा याचिका का प्रस्ताव एवं पेपर—बुक तैयार करके विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करने हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि स्थायी अधिवक्ता के परामर्श के आधार पर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अथवा शासन के निर्देश पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 दायर की जानी है तथा उच्च न्यायालय कार्य, प्रयागराज / लखनऊ द्वारा शासन को सीधे प्रेषित किया जाना है। इस संदर्भ में विशेष अधिवक्ता मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद श्री सी0बी0 त्रिपाठी द्वारा दिनांक—24.11.2018 को पत्र द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका शीघ्र तथा समयान्तर्गत दाखिल कराने हेतु उच्च न्यायालय कार्य के अधिकारियों को निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया था, जिसके अनुक्रम में वाणिज्य कर मुख्यालय के पत्र संख्या—1758 दिनांक—28.12.2018 द्वारा उच्च न्यायालय कार्य के अधिकारियों को उपरोक्त हेतु निर्देशित किया गया था। विशेष अधिवक्ता के उक्त पत्र में भी प्रचलित प्रकिया का स्पष्ट उल्लेख किया गया था।

लेकिन यदि किसी विशेष मामले में फील्ड स्तर पर, मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका योजित किया जाना आवश्यक पाया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी वाद के

Scanned by CamScanner

तथ्यों, सम्बन्धित विधिक प्रावधानों तथा न्यायिक निर्णयों का उल्लेख करते हुए उचित माध्यम द्वारा एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड–1 का अनुमोदन प्राप्त कर स्वयं उपस्थित होकर ज्वाइण्ट कमिश्नर, उच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, प्रयागराज/लखनऊ को प्रस्ताव प्राप्त कराएंगे। ज्वाइण्ट कमिश्नर, उच्च न्यायालय कार्य स्थायी अधिवक्ता को प्रकरण से अवगत कराते हुए उनका परामर्श प्राप्त करेंगे। यदि स्थायी अधिवक्ता से विशेष अनुज्ञा याचिका दायर किये जाने का परामर्श प्राप्त होता है तो उक्त के आधार पर उच्च न्यायालय कार्य द्वारा उपरोक्तानुसार शीघ्रता से शासन को सीधे प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा तथा मुख्यालय के वाद अनुभाग को उसकी प्रति सूचनार्थ प्रेषित की जाएगी।

एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड–1 द्वारा प्रकरण पर विचार करते समय शासनादेश संख्या 38/2017/यू0ओ0–23/सात–न्याय–1–2017–70जी/2017 दिनांक–31.05.2017**(प्रति संलग्न)** में राज्य मुकदमा नीति के निर्धारित प्रावधानो का अनिवार्य रुप से पालन किया जायेगा।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड–1 (उ0न्या0कार्य), वाणिज्य कर, प्रयागराज।
2– एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड–2 (उ0न्या0कार्य), वाणिज्य कर, लखनऊ।
3– एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड–2 (एस0टी0एफ0–1/2), वाणिज्य कर, मुख्यालय।
4– ज्वाइण्ट कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य), वाणिज्य कर, प्रयागराज/लखनऊ।
5– ज्वाइण्ट कमिश्नर (सर्वो0न्या0कार्य), वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
6– ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त को सभी विभागीय अधिकारियों हेतु वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

एडिशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

Scanned by CamScanner

अध्याय-8

विशेष अनुज्ञा याचिका (एस0एल0पी0)दायर करने की प्रक्रिया

1- विशेष अनुज्ञा याचिका (एस0एल0पी0) दायर करने की प्रक्रिया

सम्बन्धित कोर्ट में तैनात स्थायी अधिवक्ता के परामर्श के आधार पर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अथवा शासन के निर्देश पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लिव पेटिशन (विशेष अनुज्ञा याचिका) प्रस्तावित किया जाना प्राविधानित है। स्पेशल लिव पेटिशन (विशेष अनुज्ञा याचिका) प्रस्तावित किये जाने की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए विभाग को 90 दिन का समय अनुमन्य है। कालबाधन की सीमा की गणना निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से की जायेगी। अतः इस कार्यालय स्तर से इस बिन्दु पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। वरिष्ठ लिपिक ऐसे मामलों में सतर्कतापूर्वक कार्यवाही करेंगे। विशेष अनुज्ञा याचिका का प्रस्ताव एवं पेपर-बुक तैयार करके विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करने हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित अभिलेख विभागीय निर्देशानुसार संलग्न किये जायेंगे :-

1. निर्णय की प्रमाणित प्रति।
2. विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करने के आधार की प्रति।
3. मूल कर निर्धारण आदेश की प्रति।
4. प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति।
5. द्वितीय अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति।
6. माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल पुनरीक्षण की प्रति।

रिट से सम्बन्धित विशेष अनुज्ञा याचिका में क्रमांक 3 से 6 तक अंकित अभिलेखों के स्थान पर प्रति शपथ-पत्र की प्रति तथा रिट याचिका की प्रति संलग्न की जाएगी। पटल से सम्बन्धित अधिकारी मुख्य स्थायी अधिवक्ता से सम्पर्क कर विशेष अनुज्ञा याचिका का प्रस्ताव तैयार करायेंगे। वरिष्ठ लिपिक उपरोक्त सभी कागजात संलग्न कर पेपर-बुक शासन को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रेषित प्रस्तावों को सम्बन्धित रजिस्टर (प्रपत्र-7)में प्रविष्ट करेंगे। जिन मामलों में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की गयी है, उन सभी मामलों की पत्रावलियाँ समस्त अभिलेखों सहित अलग से रखने का दायित्व वरिष्ठ लिपिक का होगा।

Scanned by CamScanner

संख्या- 38/2017/यू0ओ0-23/सात-न्याय-1-2017-70जी/2017 (न्याय अनु0-2)

प्रेषक,

रंगनाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी,
न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

06/6/17

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय) लखनऊः दिनांक 31 मई, 2017

विषयः प्रदेश में राज्य मुकदमा नीति के अंतर्गत मुकदमों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मंत्री विधि एवं न्याय, भारत सरकार के पत्र संख्या- डी0ओ0 नं0- 17/13/2017-एनएम द्वारा लम्बित कोर्ट केसेस की बढती हुए संख्या पर रोडमैप तैयार कर "**राज्य मुकदमा नीति द्वारा चिन्हित पैरामीटर्स**" पर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है। राज्य मुकदमा नीति का उददेश्य मुकदमों की संख्या में कमी तथा मुकदमों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में मुकदमों की संख्या अधिक है और इसे नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के उददेश्य से एक जिम्मेदार वादी की भांति मुकदमों की पैरवी करनी चाहिये। एक जिम्मेदार वादी के रूप में राज्य के लिये यह आवश्यक है कि वह सुनिश्चित करें कि अच्छे मुकदमों को जीता जाय तथा मुकदमों को अनावश्यक रूप से लम्बित न रखा जाय। "**राज्य मुकदमा नीति**" के अंतर्गत निम्न उददेश्यों का अवश्य ध्यान में रखा जायः-

- **एक साधारण वादी की भांति मुकदमों को किसी भी कीमत पर जीतने के उद्देश्य से पैरवी न करें।**
- **केवल मुकदमा करने के लिये मुकदमा न करें।**
- **यह सुनिश्चित करें कि झूठी दलीलें न दी जायें तथा सुसंगत तकनीकी बिन्दुओं को हतोत्साहित किया जाय।**
- **यह सुनिश्चित करें कि सही दलीलें दी जाय तथा सुसंगत दस्तावेज शुरूआती चरण में ही दाखिल किया जाय।**
- राज्य के विरूद्ध दाखिल सभी सिविल मुकदमों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-80 के अधीन या पंचायती राज अधिनियम की धारा 106 के अन्तर्गत एक विधिक नोटिस की आवश्यकता होती है। यदि नोटिस की प्राप्ति पर राज्य के सम्बन्धित विभागों द्वारा सूक्ष्म

Scanned by CamScanner

रूप से वादी के दावों की जांच की जाय और सही दावों को स्वीकार लिया जाय तो आगे के विवादों से बचा जा सकता है।

- राज्य के दण्ड न्यायालयों में छोटे-छोटे आपराधिक मामले भारी संख्या में लम्बित हैं, जिनके अभियोजन का समाज के लिये कोई उपयोग नहीं है, उन्हें चिन्हित कर आवश्यकता है वापस लेने की या उन्हें छोड देने की है।
- प्रत्येक विभाग में विधि के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त नोडल अधिकारी को न्यायालय की प्रक्रिया तथा कार्यविधि के सम्बन्ध में जानकारी/प्रशिक्षण प्रदान कराते हुए नियुक्त किया जाय और मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिये उत्तरदायी बनाया जाय ।
- मा0 न्यायालयों में सरकारी मुकदमों को इस उद्देश्य के साथ कम करना है ताकि न्यायालय का कीमती समय अन्य महत्वपूर्ण लम्बित मामलों के निपटारे में लगाया जा सके, जिससे कि विचाराधीनता के औसत समय को 15 वर्ष से घटाकर 03 वर्ष किये जाने के राज्य विधिक मिशन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके ।
- जवाबदेही इस नीति की कसौटी है जिसका समीक्षात्मक मूल्यांकन होना चाहिये। उत्तरदायित्व को अभिनिश्चित करने के लिये अच्छे मुकदमों, जोकि हार चुके हैं, पर फिर से विचार करना चाहिये।

<u>अपील दाखिल करना:-</u>

एक पक्षीय और अन्तरिम आदेशों के विरूद्ध अपील नहीं दाखिल की जायेगी। पहले यह प्रयास अवश्य होना चाहिए कि आदेश को रद्द कराया जाय। आदेश रद्द न होने की दशा में और आदेश के प्रतिकूल प्रभाव पडने की दशा में अपील दाखिल किया जाना चाहिए। सबसे पहले उच्च न्यायालय के भीतर ही अपील दाखिल की जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय में, असाधरण स्थितियों के सिवाय सीधे अपील नहीं किया जाना चाहिए।

<u>सेवा-सम्बन्धी मामलों में ऐसे वादों में कोई अपील दाखिल नहीं की जायेगी जहॉ-</u>

- सेवा-सम्बन्धी मामलों में प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा छोटे-छोटे मामलों के सम्बन्ध में कर्मचारी के पक्ष में अनुकम्पा-पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये ताकि कर्मचारी को विभाग से ही नयाय मिल सके और उसे न्यायालय की शरण में न जाना पडे।
- यदि मामला किसी व्यक्तिगत शिकायत, पेंशन या सेवानिवृत्तिक लाभों से सम्बन्धित है जिसमें कोई सैद्धान्तिक बिन्दु निहित नहीं है और जिससे कोई नजीर या वित्तीय निहितार्थ परिलक्षित न होते हों एवं प्रशासनिक आदेश से बहुत से कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं कर्मचारियों के किसी दूसरे वर्ग के विरूद्ध कर्मचारी के किसी एक वर्ग के हित-समर्थन के लिये अपील दाखिल नहीं की जायेगी।

<u>प्रशासनिक अधिकरणों के आदेशों को चुनौती देने के लिए कार्यवाही तभी दाखिल की जायेगें, यदि-</u>

- अभिलेख में त्रुटि स्पष्ट हों और निर्णय सरकार के विरूद्ध दर्ज किया गया हो,

Scanned by CamScanner

- अधिकरण का निर्णय किसी सेवा नियमावली या किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन के प्रतिकूल हो,
- उस निर्णय से सेवा के मनोबल के संदर्भ में, प्रशासन की कार्य क्षमता प्रभावित होती है तो सरकार याचिका दायर करने को बाध्य होती है, या
- यदि उस निर्णय से अन्य संवर्गो पर आवर्ती उलझाव उत्पन्न होता हो या निर्णय मे ढेर सारे वित्तीय दावों का किया जाना अन्तर्ग्रस्त हो ।

<u>राजस्व से सम्बन्धित मामलों में अपीलें दाखिल नहीं की जायेंगी-</u>

- यदि दावे की रकमें ऊंची न हो और राजस्व प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाने वाली धनराशि से कम हो/यदि मामला सम्बन्धित अधिकरण या अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों के निर्णय की श्रृंखला से आच्छादित हो और जिन्हें उच्चतम न्यायालय में चुनौती न दी गयी हो/जहां निर्धारित दीर्घकालिक औधोगिक प्रथा के अनुसरण में कार्य किया हो/केवल इस कारण से अधिकारिक अधिकारियों के मत में परिवर्तन हो गया हो ।

<u>उच्चतम न्यायालय में अपील दाखिल नहीं की जायेंगी जब तक कि :-</u>

- मामले में कानून का बिन्दु सम्मिलित न हो,
- यदि यह तथ्य का प्रश्न है, और तथ्य का निष्कर्ष इतना अनुचित है कि उस निष्कर्ष पर कोई साफ-साफ सुथरा न्यायिक मत नहीं पहुंच सकता है
- जहॉ सार्वजनिक वित्त प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता हो,
- जहॉ सार्वजनिक न्याय के साथ सारवान व्यवधान हो,
- जहॉ संविधान के अधीन होने वाला कानून का कोई प्रश्न हो,
- जहॉ उच्च न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया हो,
- जहॉ उच्च न्यायालय ने किसी सांविधिक प्रावधान को अधिकारातीत रूप में अभिखण्डित किया हो,
- जहॉ उच्च न्यायालय की व्याख्या साफतौर पर त्रुटिपूर्ण हो ।
- प्रत्येक मामलें में, कोई अपील दायर करने की आवश्यकता का एक समुचित प्रमाणन होगा। ऐसे प्रमाणन में समर्थन में संक्षिप्त किन्तु तर्कपूर्ण कारण दिये जायेगें। इसी के साथ, वे कारण भी अभिलिखित किये जायेगें कि अपील दायर करना ठीक या उपयुक्त क्यों नहीं समझा गया ।

<u>विलम्बित अपीलें:-</u>

- अच्छे मुकदमों में इस लिये हार हो जाती है क्योंकि अपीलें परिसीमा अवधि के काफी बाद और विलम्ब के लिए समुचित स्पष्टीकरण के बिना या विलम्ब माफी के लिए समुचित आवेदन के बिना की जाती है। ऐसे विलम्ब हमेशा सदाशयी नहीं होते हैं खासकर के उन मामलों मे जिनमें राजस्व की बडी बाजियां अन्तर्विष्ट होती हैं।

Scanned by CamScanner

* विभागाध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि विलम्ब के आधार पर खारिज किए गये मामलों के विवरण मंगा लें और विलम्ब के आधार पर खारिज किए गये मामलों का अभिलेख रखें। नोडल अधिकारियों को हर एक मामलें में एक रिपोर्ट विलम्ब के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उत्तरदायी व्यक्तियों/कारणों को चिन्हित किया जायेगा। विलम्ब सदभावपूर्ण नहीं था तो समुचित कार्यवाही अवश्य की जाय।

अतःअनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाय।

भवदीय,
ह0/- रंगनाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी।

Scanned by CamScanner